[illegible] 3/4 अधिनियम 9, 10, 11 की तामील हेतु-
[illegible] पत्रावली दिनांक 6/5/2022 को पेश है

[illegible] 3/4 अधिनियम 9, 10, 11 की तामील हेतु-
[illegible] पत्रावली दिनांक 18/5/2022 को पेश हो

18/5/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 10/6/2022 को पेश हो।

10/6/22 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 26/8/2022 को पेश हो।

26/8/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 29/9/2022 को पेश हो।

29/9/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 12/12/22 को पेश हो।

T.I. द्वारा 5/11/9 पत्रावली प्रस्तुत

12/11/2022 पत्रावली पर उप अधिनियम 9, 10, 11 के तामील नोटिस प्राप्त। आवेदन लगाई गई अनुपस्थित है अधिनियम 9, 10, 11 के एवं पत्रावली पर नोटिस आवेदन के लगाई गई है। उप खण्ड अधिकारी की अपील पर अन्तर्गत [illegible] RT-Act [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर मनन किया गया। प्रकरण दिनांक 28.2.2022 को अंतिम रूप order 1 Rule 10 CPC का प्रस्तुत होकर आवेदनों पर उपलब्ध के लिए पत्रावली को एक कर्मा। पक्षों द्वारा उल्लिखित प्रतीत होता है महेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंहराजपूत कॉलोनी, कालोनी, तेजसिंह पुत्र रतनसिंहराजपूत कॉलोनी कालोनी कालोनी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम अवस्थित के धारा 325, 326 के भूमि परिवर्तन निषेधाज्ञा दावा दिनांक 03.1.2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। मामले पर स्वीकार किया जाता है। महेन्द्रसिंह एवं तेजसिंह को अभियुक्त 12 एवं 13 नियोजित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि को लेकर मौके पर किसी प्रकार की अशांति नहीं है। मामले में ग्राम पंचायत को पक्षकार के नाते अतिरिक्त अतिरिक्त निवेदन पत्र दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रकाश 51/15 पंचायत समिति गोपीपुर एवं ग्राम पंचायत 401/15 हीरादेवी v/s गोपीपुर संबंध के पंचायत प्रार्थित/अप्रार्थित को वादग्रस्त भूमि ग्राम अवस्थित के धारा 325 एवं 326 के किसी प्रकार का बेचान, हस्तांतरण, बंधक, रहन, दान, त्याग, इकरारनामा नहीं करें तथा यथास्थिति बनाये रखें। इस नियमित अस्थायी किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन स्वीकार नहीं करें। T.I. आदेश का पालन कर पुष्टता किया जाता है। आदेश सहित प्रमाण आज दिनांक 12.12.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूम कार पर के लिए रहे। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2023.02.13 14:27:52 IST Reason: SelfAttested (बाबूलाल जाट RAS) (नागौर)